


9

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट



264
20-5-14

निगा-1781-III-14

- 1- मंगलेश्वर प्रसाद तनय राजाराम ब्रा०
- 2- श्री युदनन्दन प्रसाद तनय रामेश्वर प्रसाद शुक्ला
सभी निवासी ग्राम-अमहा पण्डितान, थाना-हनुमना,
तहसील-हनुमना, जिला-रीवा म०प्र०

—निगरानीकर्तागण

बनाम्

- 1- काशी नाथ तनय पंचम राम ब्रा०
- 2- मंगला प्रसाद तनय नाथू राम ब्रा०
- 3- रामचन्द्र तनय नाथूराम ब्रा०

सभी निवासी ग्राम-अमहा पण्डितान, थाना-हनुमना,
तहसील-हनुमना, जिला-रीवा म०प्र०

— प्रतिवादीगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय अपर
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा
के प्रकरण क्रमांक-328/अपील/
83-84 आदेश दिनांक
25-03-14

निगरानी अंतर्गत आवेदन धारा
50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता
1959 ई०

... के
... द्वारा आज दिनांक ...
... किया गया।
...
...
...
...
...
...
...
...
...

क्रमांक 1963
... पोस्ट द्वारा आज
... को प्राप्त

...
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
मान्यवर,

प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्न है:-


- 1- यह कि उपरोक्त उन्मान का अपील प्रकरण अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में वर्ष 1983-84 में संस्थित किया गया था जिसमें दिनांक 29-04-09 को अपीलार्थीगणों की अनुपस्थिति में उक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R..1781-III/14

जिला-रीवा

मंगलेश्वर प्रसाद ब्रा०/काशी नाथ ब्रा०

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सिदस्य</p>	

M